दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वि.(वि.) सं.667/2009

निर्णय की तिथि: 12 जनवरी, 2010

केनरा बैंक ....याचिकाकर्ता

द्वारा:श्री प्रदीप दीवान और श्री राजीव समैयार,
अधिवक्तागण

बनाम

राजीव त्यागी और एसोसिएट्स और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:श्री राजीव त्यागी, व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी।

कोरम:-
माननीय न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय को डायजेस्ट में दिया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या., राजीव सहाय एंडलॉ</u>

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रत्यर्थी सं.1/वादी द्वारा स्थापित ब्याज और जुर्माने के साथ 4,68,796

रुपये की वसूली हेतु एक वाद में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी सं.1 (इसके बाद इसे बैंक कहा गया) विचारण न्यायालय के 28 मार्च, 2009 के आदेश से व्यथित है, जिसमें प्रत्यर्थी सं.1/वादी को प्रतिप्रश्न की अनुमति देने हेतु बैंक के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने 20 जुलाई, 2009 के एकपक्षीय आदेश के तहत इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

2. जिस वाद से यह याचिका उत्पन्न हुई है, उसमें प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने अभिवाक् किया है कि वह बैंक को कानूनी सलाह और सेवाएँ प्रदान कर रहा था; कि यह बैंक के साथ सूचीबद्ध एक वकील/कानूनी फर्म थी; बैंक ने विभिन्न न्यायालयों/मंचों के समक्ष कानूनी मामलों के निपटान हेतु अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए शुल्क की एक अनुसूची तैयार की थी और उस अनुसूची के अनुसार शुल्क का 50% मामले को सौंपे जाने के समय अग्रिम भुगतान किया जाना था और शेष 50% का भुगतान मामले के निपटान और इसके अतिरिक्त, अंतर्वर्ती आवेदनों, अपीलों आदि के लिए शुल्क में किया जाना था; कि प्रत्यर्थी सं.1/वादी बैंक पर बिल लाया करता था जिसका भुगतान काफी देरी से किया जाता था और कई बिलों का भुगतान नहीं किया जाता था। प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने दावा किया कि वादपत्र के उपाबंध 2 के रूप में दायर खातों के विवरण के अनुसार बकाया इनवॉइस(चालानों) हेतु बैंक से 4,68,796/- रुपये की

राशि देय होगी; 19 अक्टूबर, 2000 से 14 दिसंबर, 2004 की अवधि के दौरान लाए गए बिलों की वास्तविक और विशुद्ध प्रतियाँ उपाबंध 1 के रूप में वादपत्र के साथ संलग्न की गईं।

3. बैंक ने लिखित विवरण दायर करके वाद का विरोध किया। उक्त लिखित विवरण में बैंक ने विवरण उपाबंध-2 में कई बिलों पर विचार किया और उनके संबंध में अभिवचन लिए, या तो कई बिल एक ही सेवा के लिए थे, या बिल की विशुद्धता से इंकार कर रहे थे और कई बिलों की बकाया राशि के बारे में प्रत्यर्थी सं.1/वादी की स्वीकृतियों/अभिस्वीकृतियों पर भी भरोसा किया जा रहा है।

4. प्रत्यर्थी सं.1/वादी के अधिवक्ता द्वारा दी गई तिथियों की सूची से, ऐसा प्रतीत होता है कि अभिवचनों के पूरा होने के बाद और मुद्दों को तय करने से पहले, बैंक ने सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ आदेश 11 नियम 1, 2 और 4 के तहत परिप्रश्न की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया था कि बैंक ने अपने लिखित वक्तव्य में दर्शाया था/अभिवाक् किया था कि प्रत्यर्थी सं.1/वादी द्वारा देय होने का दावा किए गए 85 बिलों में से अधिकांश का निपटान/भुगतान किया जा चुका है, कुछ के संबंध में, प्रत्यर्थी सं.1/वादी द्वारा विवरण/सूचना प्रस्तुत की जानी बाकी है और बैंक द्वारा प्राप्त की जानी है, अन्य के संबंध में कुछ भी देय नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने प्रतिकृति में

बैंक के लिखित विवरण में विशिष्ट प्रकथनों का अस्पष्ट और कपटपूर्ण उत्तर दिया है और विभिन्न बिलों के संबंध में बैंक द्वारा किए गए अभिवाक् को विशेष रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से परहेज किया है। यह अभिवाक् किया गया कि संविवाद में मामले के प्रभावी निर्णय हेतु, यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सं.1/वादी आवेदन के साथ उपाबद्ध 112 परिप्रश्नों का उत्तर दे।

5. प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने आवेदन का विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि परिप्रश्नों के माध्यम से, बैंक लिखित विवरण में अपने प्रकथनों का प्रमाण मांग रहा था; दस्तावेज़ों के कब्जे में होने और बैंक के अधिकार में होने के कारण भी परिप्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका; यह स्वीकार किया गया कि यद्यपि कुछ इनवॉइस(चालानों) का पूरा निपटान हो सकता है, किंतु यह कहा गया कि अन्य इनवॉइस(चालानों) का आंशिक रूप से भुगतान किया गया या भुगतान नहीं किया गया; समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए भुगतानों के साथ संबंधित बिल संख्या की जानकारी देने वाला कोई व्याख्या पत्र(कवरिंग लेटर) नहीं दिया गया था; इसी कारण से, जारी किए गए बिलों और प्राप्त भुगतानों का विवरण वादपत्र के उपाबंध-2 में दिया गया था और बकाया राशि दर्शाई गई थी; आगे यह कहा गया कि बैंक के पास वह तथ्य थे जिससे परिप्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता था। विचारण न्यायालय ने इस याचिका में दिए गए आदेश के माध्यम से यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि परिप्रश्नों के माध्यम से पूछे गए प्रश्न प्रति-परीक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं।

6. विचारण न्यायालय ने आवेदन को ख़ारिज करने के लिए जो तर्क दिया है, वह निश्चित रूप से क़ानूनी तौर पर मान्य नहीं है। केवल इसलिए कि परिप्रश्नों से वह प्रश्न बन सकता है जिसे प्रति-परीक्षा में रखा जा सकता है, परिप्रश्नों से इंकार करने का कोई आधार नहीं है। निश्चित रूप से, जो कुछ भी परिप्रश्न का विषय बन सकता है वह प्रति-परीक्षा का विषय बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद सि.प्र.सं. में इसका प्रावधान किया गया है। परिप्रश्न का उद्देश्य मामले के प्रमाण को सुविधाजनक बनाना और आवश्यक तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्यों को जोड़ने में लगने वाली लागत को बचाना है। परिप्रश्न के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रति-परीक्षा आवश्यक नहीं हो सकती है। इस प्रकार, परिप्रश्नों द्वारा खोज के लिए एक आवेदन से निपटने में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह नहीं है कि यह प्रति-परीक्षा का विषय बन सकता है या नहीं, बल्कि प्रासंगिकता और समीचीनता का है।

7. वर्तमान मामले में, यह वाद प्रत्यर्थी सं./वादी द्वारा बैंक पर बड़ी संख्या में लाए गए बिलों पर बकाया बताई गई शेष राशि की वसूली हेतु है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी के जवाब से लेकर परिप्रश्न हेतु आवेदन तक, प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने स्वीकार किया है कि कुछ बिल जिनके देय होने का दावा किया गया था, उनका पूरा या आंशिक भुगतान किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने यह तर्क देकर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बैंक द्वारा किए गए भुगतान बिलों से संबंधित नहीं हो सकते हैं क्योंकि बैंक ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि

भुगतान किस बिल के संबंध में था। इस प्रकार पक्षों के मध्य सवाल खातों का है। ऐसे खातों के संबंध में सवालों/प्रश्नों का सबसे अच्छा उत्तर परिप्रश्न के माध्यम से दिया जाता है। यदि इस तरह के प्रश्न प्रति-परीक्षा में किए जाने थे, तो अपेक्षित तथ्यों की अनुपलब्धता के कारण साक्षी/वादी तुरंत इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि या तो प्रति-परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी, जिससे विलंब और जुर्माना होगा या कपटपूर्ण उत्तर दिए जाएंगे। इसके विपरीत, परिपरीक्षा का उत्तर पक्ष अपने खाली समय में और अपने कार्यालय/निवास पर उपलब्ध सभी रिकॉर्डों का अवलोकन करने के बाद और मामले की जानकारी रखने वाले अपने अन्य स्टाफ सदस्यों से, यदि कोई हो, आवश्यक पूछताछ करके भी दे सकते हैं। परिप्रश्न के उत्तरों से न्यायलय द्वारा प्रति-परीक्षा को रिकॉर्ड करने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी और प्रति-परीक्षा को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। बैंक के अधिवक्ता ने इस संबंध में निर्भरता रखी (i) ***ए.के. अग्रवाल बनाम शंटी देवी*** 1996 राजधानी लॉ रिपोर्टर 60 में कहा गया है कि परिप्रश्न के प्रावधान का उदारतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और पक्षों को विचारण के दौरान उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; परिप्रश्न का एक मुख्य उद्देश्य साक्ष्य सुरक्षित रखना, प्रमाण का बोझ कम करना और जुर्माने को बचाना है; एक पक्ष को प्रतिपक्षी से प्रवेश प्राप्त करने की दृष्टि से परिप्रश्न करने का अधिकार है। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि परिपरीक्षा का उत्तर देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं था कि वही

जानकारी विचारण के दौरान प्रति-परीक्षा से प्राप्त की जा सकती है। (ii) ***शारदा धीर बनाम अशोक कुमार मखीजा*** 99 (2002) डी.एल.टी. 350 में कहा गया है कि परिप्रश्न का उद्देश्य यह है कि पक्ष सुनवाई में मिलने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के मामले की प्रकृति को पहले से जानता है; किसी दिए गए मामले में, अभिवचन पक्षों के मामले की प्रकृति का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं कर सकते और कमियों को पूरा करने के लिए, यह नियम अधिनियमित किया गया है; कि न्यायालय को परिप्रश्न जारी करने के चरण में अति-तकनीकी नहीं होना चाहिए। परिप्रश्न की सेवा का एकमात्र प्रतिवाद तभी हो सकता है जब वह प्रश्नगत मामले से संबंधित न हो या कलंकात्मक हो (iii) ***भक्त चरण मलिक बनाम नटौरार मलिक*** ए.आई.आर. 1991 उड़ीसा 319 उसी प्रभाव हेतु।

8. प्रत्यर्थी सं.1/वादी के अधिवक्ता ने कानून में उपरोक्त स्थिति से पूरी तरह अवगत होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के तकनीकी अभिवचन पर इस याचिका का विरोध किया। ***मैसर्स ए.एफ.एल. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीमती वीना त्रिवेदी*** एआईआर 2000 दिल्ली 354 और ***राजस्थान गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम एवन फुटवियर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड*** एआईआर 1986 दिल्ली 286 और ***राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी*** एआईआर 1972 एससी 1302 का भी उल्लेख किया गया है इन सभी मामलों में, जो न्यायिक निर्णय के विषय वस्तु से

संबंधित नहीं थे और/या जो अतिगामी या मत्स्य-ग्रहण प्रवृत्ति के पाए गए थे, उन्हें देने की अनुमति नहीं दी गई थी और यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन परिप्रश्नों को निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध नहीं था। ***राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी*** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो प्रश्न प्रति-परीक्षा के दौरान प्रासंगिक होंगे, वे आवश्यक नहीं कि परिप्रश्न के रूप में भी प्रासंगिक हों। यह अभिनिर्धारित किया गया कि की गई परिपरीक्षा का संबंधित मामलों से यथोचित घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

9. यद्यपि, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी सं.1/वादी का यह अभिवाक् था कि परिप्रश्न कलंकात्मक था या अप्रासंगिक है। ऐसा कोई अभिवाक् न तो आवेदन पर दायर उत्तर से और न ही चुनौती के तहत आदेश के तर्क से सामने आती है। एकमात्र प्रतिवाद यह था कि प्रश्न, परिप्रश्न की विषय-वस्तु, प्रति-परीक्षा की विषय-वस्तु बन सकती है। यद्यपि, यह तर्कसंगत नहीं पाया गया है और इस न्यायालय द्वारा पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यह परिप्रश्न से इंकार करने का कारण नहीं है।

10. सुनवाई के दौरान भी मैंने प्रत्यर्थी सं.1/वादी के अधिवक्ता के समक्ष यह बात रखी थी कि किस प्रकार के परिप्रश्न कलंकात्मक थे या अप्रासंगिक है; ध्यान केवल प्रश्न सं. 21 और 22 के परिप्रश्न की ओर आकर्षित किया गया था, कि क्या प्रत्यर्थी सं.1/वादी सर्वोच्च न्यायालय में अभिलिखित अधिवक्ता था

या एक अभिहित वरिष्ठ अधिवक्ता था। यह आग्रह किया गया कि यह बैंक के ज्ञान में था कि वादी ऐसा नहीं था और यह प्रयास वादी को उलझन में डालने का था। यद्यपि प्रत्यर्थी सं.1/वादी के अधिवक्ता ने बड़ी संख्या में परिप्रश्न पर टिप्पणी की किंतु उपरोक्त से परे किसी अन्य को इंगित न कर सका जो अप्रासंगिक या कलंकात्मक हो सके।

11. जहां तक बड़ी संख्या में परिप्रश्न का सवाल है, इसका निर्णय वाद की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। यह वाद खाते के विवरण, लाए गए बिलों और उस पर शेष राशि पर आधारित है। इस स्तर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि 84 बिल बकाया थे। वाद में बैंक का प्रतिवाद भी बिल के अनुसार है। इस संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्येक बिल के संदर्भ में 100 से अधिक परिप्रश्न को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि परिप्रश्न करने वालों में से कोई भी अतिगामी है या मत्स्य-ग्रहण कर रहा है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी का यह अभिवाक् था कि वह परिप्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके रिकॉर्ड बैंक के पास हैं, एक सामान्य नियम के रूप में भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यह प्रत्यर्थी सं.1/वादी है जिसने बैंक से बकाया धनराशि बताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी ने यह जानते हुए मामला बनाया होगा कि उसे इसे प्रमाणित करना अपेक्षित होगा। वाद खातों के लिए नहीं है। अब परिप्रश्नों के समक्ष आने पर वह बैंक के पास उत्तर देने के लिए तथ्य उपलब्ध होने के अभिवाक् के पीछे

नहीं छिप सकता। भले ही ऐसा मामला हो कि बैंक को परिप्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह इसका उत्तर अपने रिकॉर्ड में पा सकता है, परिप्रश्न फिर भी किए जाएंगे। जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णय में कहा गया है, बैंक प्रत्येक बिल के संबंध में प्रत्यर्थी सं.1/वादी के मामले को जानने का हकदार है ताकि विचारण के समय उसे पूरा किया जा सके।

12. जहां तक प्रत्यर्थी सं.1/वादी के तर्क का सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय को परिप्रश्न हेतु एक आवेदन पर आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इस न्यायालय ने ***राजस्थान गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम एवन फुटवियर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में इसे सि.प्र.सं. की धारा 115 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप योग्य नहीं माना, केवल यह पाए जाने पर कि आदेश से न्याय में कोई विफलता नहीं हुई है। यद्यपि, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा परिप्रश्न से इंकार करने का तर्क इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून के विपरीत पाया गया है। यह भी पाया गया है कि जब तक प्रत्यर्थी सं.1/वादी परिप्रश्नों का उत्तर नहीं देता, तब तक प्रतिकृति में कपटपूर्ण तरीका जिसके लिए बैंक प्रत्यर्थी सं.1/वादी को दोषी सिद्ध कर रहा है, विचारण के समय भी जारी रह सकता है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी अपने कक्ष की सीमा में और सभी रिकॉर्ड के संदर्भ में विभिन्न बिलों के संबंध

में परिप्रश्न हेतु एक निश्चित रुख अपनाने की स्थिति में है। तब बैंक वादी के दावे को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा।

13. इसलिए यह याचिका सफल होती है। विचारण न्यायालय के 28 मार्च, 2009 के आदेश में परिप्रश्न हेतु आवेदन को अपास्त कर दिया गया है। परिप्रश्नों को पूरा करने के लिए आवेदन की अनुमति है। परिप्रश्न सं. 21 और 22 जिन्हें कलंकात्मक कहा गया था, उनका भी जवाब देने का आदेश दिया जाता है क्योंकि एक अभिहित वरिष्ठ अधिवक्ता और अभिलिखित अधिवक्ता हेतु शुल्क की अनुसूची दरें भिन्न-भिन्न हैं और उक्त स्थिति संविवाद में मामले के अधिनिर्णय हेतु प्रासंगिक है। प्रत्यर्थी सं.1/वादी कानून के अनुसार परिप्रश्नों का उत्तर देगा। हालाँकि, मामले के तथ्यों में, जुर्माने के बारे में कोई आदेश नहीं है।

राजीव सहाय एंडलॉ
(न्यायाधीश)

12 जनवरी, 2010
जीएसआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*